(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 43/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 27 मार्च, 2017

विषयः खाद्य तेल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की क्रम सं. 92 से संबंधित दिनांक 06.02.2015 की अधिसूचना सं. 108 (आरई–2013)/2009–14 और दिनांक 06.8.2015 की अधिसूचना सं० 17/2015–20 के साथ पठित दिनांक 18.06.2013 की अधिसूचना सं. 22 (आरई–2013)/2009–14 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

2. खाद्य तेल के निर्यात पर प्रारंभ में दिनांक 17.3.2008 की अधिसूचना सं. 85 द्वारा 17.03.2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाई गई थी जिसे समय–समय पर बढ़ाया गया था। दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 24 (आरई-2012)/2009-14 के द्वारा खाद्य तेल के निर्यात पर रोक अगले आदेशों तक बढ़ा दी गई है।

3. खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई है:

(क) अरंडी का तेल

(ख) सभी ईडीआई पत्तनों और भारत–नेपाल, भारत–बांग्लादेश, भारत–भूटान तथा भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर स्थित सभी भू–सीमा–शुल्क कार्यालयों (एलसीएस) के माध्यम से नारियल का तेल।

(ग) निर्यात किए जाने वाले गैर खाद्य माल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को डीटीए से खाद्य तेलों (इनपुट कच्चे माल के रूप में) के मान्य निर्यात।

(घ) लागू मूल्य संवर्धन मानकों के अधीन संसाधित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एसईजेड यूनिट द्वारा खपत किए जाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से खाद्य तेल प्रदान करना।

(ड.) आईटीसी (एचएस) कोड 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 और 15219020 के तहत लघु वन्य उत्पादों से उत्पादित खाद्य तेल।

(च) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा 'आर्गेनिक' के रूप में पंजीकृत और प्रमाणित किए जा रहे निर्यात संविदा के अधीन आर्गेनिक खाद्य तेल।

(छ) थोक में राइस ब्रान ऑयल चाहे पैक साइज कोई भी हो।

(ज) थोक में मूंगफली तेल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल और मक्के (कार्न) का तेल, चाहे पैक साइज कोई भी हो।

4. 900 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के तहत 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल का निर्यात अनुमत है।

5. **इस अधिसूचना का प्रभावः–**

थोक में मूंगफली तेल, तिल के तेल, सोयाबीन तेल और मक्के (कॉर्न) के तेल, चाहे पैक साइज जो भी हो, के निर्यात को खाद्य तेलों के निर्यात पर लगी रोक से छूट प्रदान की गई है।

अजय भल्ला

(ए.के.भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेल: dgft@nic.in

[फा0सं0 01/91/180/774/एएम10/निर्यात प्रकोष्ठ (पार्ट) से जारी]